

निरस्तीकरण सूचना

शासनादेश संख्या-926/26-2-2019, दिनांक 10 मई 2019 द्वारा उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पूर्व से स्थापित एक-एक वृद्धाश्रम के अतिरिक्त 07 जनपदों क्रमशः गोण्डा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर तथा सोनभद्र में एक-एक अधिकतम 100 वृद्धजनों की क्षमता का आवासीय वृद्धाश्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा पी0पी0पी0 माडल पर संचालित किये जाने के लिए प्रतिष्ठित कन्सलटेन्सी फर्मों/एजेन्सी से नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया अपनाते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं/सरकारी उपक्रमों तथा राजकीय निगमों के चयन हेतु दिनांक 28 जून 2019 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

पत्रांक : 312 /स0क0/अनु0/विज्ञापन निरस्तीकरण/2019-20,

लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2019 16

(रजनीश चन्द्र)

निदेशक।